

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी,

स्टेट जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ बनाम नारायणराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी  
टेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

मुकाम श्रीडूंगरगढ

राजस्व वाद मुकदमा नम्बर 109/2025

U/S88 RTA@136 LRA

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
23-06-2025	<p>आज यह वाद स्टेट की ओर तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2025/2283 दिनांक 10.06.2025 के द्वारा अपनी अनुशंषा सहित प्रेषित करने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। स्टेट की ओर से तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी नारायणराम पुत्र गंगाराम जाति जाट के रोही ग्राम टेऊ के खेत खसरा नम्बर तादादी 8.07 हैक्टेयर की जमाबन्दी खाता संख्या 91 में शुद्धि हेतु उपतहसीलदार सूडसर द्वार प्रस्तुत जांच/अनुशंषा रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित शुद्धि किये जाने का निवेदन किया गया।</p> <p>पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।</p> <p><b>निर्णय</b></p> <p>रोही ग्राम टेऊ के खेत वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 91 में खसरा नंबर 63 रकबा 8.07 हैक्टेयर में लिपिकिय त्रुटि से दर्ज डबल एन्ट्री से दर्ज खातेदार नारायणराम पुत्र गंगाराम हिस्सा 20/319 को डिलिट किया जाकर उक्त 20/319 हिस्सा चान्दादेवी पत्नी नारायण के हिस्से में घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।</p> <p style="text-align: center;">(3) (उम्र मित्तल) उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ</p>	



प्राथमिक डिक्री  
मुकदमें इन्तदाई  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल (R.A.S)

उनवान

स्टेट जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर  
बनाम

नारायणराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी टेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।  
दावा बाबत घोषणात्मक, रिकार्ड दुरुस्ती  
मुकदमा नम्बर /2024  
निर्णय दिनांक:

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूब्रू अदालत बहाजरी स्टेट की ओर से तहसीलदार श्रीडूंगरगढ मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि रोही ग्राम टेऊ के खेत वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 91 में खसरा नंबर 63 रकबा 8.07 हैक्टेयर में लिपिकिय त्रुटि से दर्ज डबल एन्ट्री से दर्ज खातेदार नारायणराम पुत्र गंगाराम हिस्सा 20/319 को डिलिट किया जाकर उक्त 20/319 हिस्सा चान्दादेवी पत्नी नारायण के हिस्से में घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज.....0.....मुबलिंग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....0.  
फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक माह सन् 2025 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)  
उपखण्ड अधिकारी,  
श्री डूंगरगढ

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4.साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह-भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

(उमा मित्तल)  
उपखण्ड अधिकारी,  
श्री डूंगरगढ